Highway Development Policy

539. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have cleared Highway Development Policy for the purpose to improve the Highway Development in the country; and

(b) if so, the salient features of Highway Development Policy?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of new National Highway policy are as follows:—

(i) Simplification of land acquisition and environmental clearance procedure.

(ii) Collection of toll in perpetuity on improved four lane sections of National Highways to be used for further development of National Highways.

(iii) Guidelines finalised for taking up National Highway projects on Build, Operate and Trasfer (BOT) basis providing *inter-alia* for award of work through competitive bidding on least cost to the user.

(iv) The Govt. enabled to make capital investment in National Highways Authority of India (NHAI) for leveraging the same to raise further resources from market.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रकों और कारों पर पथ कर लगाना

540. श्री राम जेठमलानी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रकों और कारों के संबंध में पथकर लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पथकर वसूल करने के लिए राजमार्गों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से राजमार्गों की पहचान कर ली गयी है; और

(ङ) इन राजमार्गों पर चलने वाली यात्री बसों से पथकर वसूल करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकट-रामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने बाईपासों, पुलों, पुलोपरि सड़कों राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को 2 लेन से 4 लेन का बनाने जैसी सुधार परियोजनाओं के लिए निरन्तर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।

भारतीय और विदेशी गैर-सरकारी उद्यमियों से प्रस्ताव

541. श्री सोमपाल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में संशोधन किये जाने के पश्चात् भारतीय और विदेशी गैर-सरकारी उद्यमियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बनने वाले उपरि पुलों के निर्माण कार्य को निजी क्षेत्र को दिये जाने के लिए कोई नियम और कोई प्रक्रिया बनायी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकट-रामन): (क) जी हां।

(ख) 8 परियोजनाओं के संबंध में भारतीय और विदेशी निजी उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से भारतीय सहभागिता वाली 3 परियोजनाओं को पहले ही सौंपा जा चुका है।

(ग) जी हां।